FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजं अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दायतु

रफीक खां बनाम गुमनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. भू. अधि. नं. [illegible] सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सिलेमाराम मिरचा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/5/22 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) दायतु जिला – बाड़मेर
16/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली वाईन्डा दिनांक 30/05/2022 को पेश हो।	

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुका...
तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स... आज

30/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो रजि नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड ... 781 ... प्रार्थना

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 781 | दिनांक : 30/5/22

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

1. रफीकखा पुत्र बरगतखां वगैरा 02, जाति तेली, निवासी जोगासर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. चुनाराम पुत्र मेहाराम वगैरा 21, जाति जाट, निवासी पनावासपुरा, पटवार मण्डल जाजवा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 167 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – पनावासपुरा, पटवार मण्डल – जाजवा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 471 / 392 रकबा 6.6692 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौका पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 30/05/22

क्रमांक : वाद / 2022 / 782 to 786
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाजवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रफीकखा पुत्र बरगतखां वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री चुनाराम पुत्र मेहाराम वगैरा 21,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु